



OPERATION CONVICTION

जनपद रामपुर



प्रेस नोट:-

“श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, महोदय द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के अन्तर्गत जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपराध का विवरण:-

अवगत कराना हैं कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई की हत्या कर सबूत मिटाने के आशय से शव को रजपुरा डाम वाली नहर की पुलिया के नीचे डाल देने के संबंध में दिनांक 21.04.2018 को थाना टाण्डा पर मु०अ०सं०- 275/18 धारा- 302,201 बनाम प्रीतम पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर पंजीकृत किया गया था।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही समयबद्ध करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनांक- 18.10.2024 को मा० न्यायालय ADJ-2, रामपुर द्वारा अभियुक्त प्रीतम पुत्र भगत सिंह उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा का विवरण:-

अभियुक्त प्रीतम पुत्र भगत सिंह निवासी ग्राम तेलीपुरा थाना टाण्डा जनपद रामपुर को आजीवन कारावास एवं 28 हजार रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

@rampurpolice

रामपुरपुलिस

@rampurpolice

7839859826